

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सुलतानपुर।
पत्रांक 652/14-10 दिनांक, सुलतानपुर 28-08-2021
सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 सरयू वृत्त,
उ0प्र0, अयोध्या।

विषय:- जनपद सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कि0मी0 संख्या- 121 + 870 पर क्रास कर रहे एन0एच0-330 प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर सुगम एवं सुरक्षित यातायात हेतु एक्सप्रेसवे के लूप के प्रवेश/निकास पर फलाई ओवर/वायाडक्ट के निर्माण हेतु आवागमन से प्रभावित 4.80 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य की अनुमति।

महोदय,

जनपद सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कि0मी0 संख्या- 121 + 870 पर क्रास कर रहे एन0एच0-330 प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर सुगम एवं सुरक्षित यातायात हेतु एक्सप्रेसवे के लूप के प्रवेश/निकास पर फलाई ओवर/वायाडक्ट के निर्माण हेतु आवागमन से प्रभावित 4.80 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव 04 प्रतियों में संलग्न कर भेजा जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आनन्देश्वर प्रसाद)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।

पत्रांक:- / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि -उप-मुख्य कार्य पालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ।

(आनन्देश्वर प्रसाद)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।